

Signature and Name of Invigilator

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--

(In figures as per admission card)

1. (Signature) _____
(Name) _____

2. (Signature) _____
(Name) _____

Roll No. _____
(In words)

Test Booklet No.

J-5807

PAPER – III

LAW

[Maximum Marks : 200

Time : 2½ hours]

Number of Pages in this Booklet : 40

Number of Questions in this Booklet : 26

Instructions for the Candidates

- Write your roll number in the space provided on the top of this page.
- Answers to short answer/essay type questions are to be given in the space provided below each question or after the questions in the Test Booklet itself.
No Additional Sheets are to be used.
- At the commencement of examination, the question booklet will be given to you. In the first 5 minutes, you are requested to open the booklet and compulsorily examine it as below :
 - To have access to the Test Booklet, tear off the paper seal on the edge of this cover page. Do not accept a booklet without sticker-seal and do not accept an open booklet.
 - Tally the number of pages and number of questions in the booklet with the information printed on the cover page. Faulty booklets due to pages/questions missing or duplicate or not in serial order or any other discrepancy should be got replaced immediately by a correct booklet from the invigilator within the period of 5 minutes. Afterwards, neither the question booklet will be replaced nor any extra time will be given.**
- Read instructions given inside carefully.
- One page is attached for Rough Work at the end of the booklet before the Evaluation Sheet.
- If you write your name or put any mark on any part of the Answer Sheet, except for the space allotted for the relevant entries, which may disclose your identity, you will render yourself liable to disqualification.
- You have to return the Test booklet to the invigilators at the end of the examination compulsorily and must not carry it with you outside the Examination Hall.
- Use only Blue/Black Ball point pen.
- Use of any calculator or log table etc. is prohibited.
- There is NO negative marking.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

- पहले पृष्ठ के ऊपर नियत स्थान पर अपना रोल नम्बर लिखिए।
- लघु प्रश्न तथा निबंध प्रकार के प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक प्रश्न के नीचे या प्रश्नों के बाद में दिये हुये रिक्त स्थान पर ही लिखिये।
इसके लिए कोई अतिरिक्त कागज का उपयोग नहीं करना है।
- परीक्षा प्रारम्भ होने पर, प्रश्न-पुस्तिका आपको दे दी जायेगी। पहले पाँच मिनट आपको प्रश्न-पुस्तिका खोलने तथा उसकी निम्नलिखित जाँच के लिए दिये जायेंगे जिसकी जाँच आपको अवश्य करनी है :
 - प्रश्न-पुस्तिका खोलने के लिए उसके कवर पेज पर लगी सील को फाड़ लें। खुली हुई या बिना स्टीकर-सील की पुस्तिका स्वीकार न करें।
 - कवर पृष्ठ पर छपे निर्देशानुसार प्रश्न-पुस्तिका के पृष्ठ तथा प्रश्नों की संख्या को अच्छी तरह चैक कर लें कि ये पूरे हैं। दोषपूर्ण पुस्तिका जिनमें पृष्ठ/प्रश्न कम हों या दुबारा आ गये हों या सीरियल में न हों अर्थात् किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण पुस्तिका स्वीकार न करें तथा उसी समय उसे लौटाकर उसके स्थान पर दूसरी सही प्रश्न-पुस्तिका ले लें। इसके लिए आपको पाँच मिनट दिये जायेंगे। उसके बाद न तो आपकी प्रश्न-पुस्तिका वापस ली जायेगी और न ही आपको अतिरिक्त समय दिया जायेगा।
- अन्दर दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- उत्तर-पुस्तिका के अन्त में कच्चा काम (Rough Work) करने के लिए मूल्यांकन शीट से पहले एक पृष्ठ दिया हुआ है।
- यदि आप उत्तर-पुस्तिका पर अपना नाम या ऐसा कोई भी निशान जिससे आपकी पहचान हो सके, किसी भी भाग पर दर्शाते या अंकित करते हैं तो परीक्षा के लिये अयोग्य घोषित कर दिये जायेंगे।
- आपको परीक्षा समाप्त होने पर उत्तर-पुस्तिका निरीक्षक महोदय को लौटाना आवश्यक है और इसे परीक्षा समाप्ति के बाद अपने साथ परीक्षा भवन से बाहर न लेकर जायें।
- केवल नीले / काले बाल प्वाइंट पेन का ही इस्तेमाल करें।
- किसी भी प्रकार का संगणक (कैलकुलेटर) या लाग टेबल आदि का प्रयोग वर्जित है।
- गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जायेंगे।

LAW

विधि

PAPER – III

प्रश्न-पत्र – III

NOTE: This paper is of two hundred (200) marks containing four (4) sections. Candidates are required to attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्नपत्र दो सौ (200) अंकों का है एवं इसमें चार (4) खंड है। अभ्यर्थियों को इन में समाहित प्रश्नों का उत्तर अलग दिये गये विस्तृत निर्देशों के अनुसार देना है।

SECTION - I

खण्ड – I

Note : This section contains five (5) questions based on the following paragraph. Each question should be answered in about thirty (30) words and each carries five (5) marks.

(5x5=25 marks)

नोट : इस खंड में निम्नलिखित अनुच्छेद पर आधारित पाँच (5) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग तीस (30) शब्दों में अपेक्षित है। प्रत्येक प्रश्न पाँच (5) अंको का है।

(5x5=25 अंक)

Note : *The candidates are advised to read the following paragraph carefully and answer the five questions asked on the given paragraph in 30 words. Each question carries 5 marks.*

There is no place of hypocrisy in democracy. The Governor's perception about his power may be erroneous, but it is certainly not extraneous or irrational. It cannot be said that by avoiding the Tenth Schedule by illegitimate or tainted means a majority if gathered leaves the Governor helpless, and a silent onlooker to the tampering of mandate by dishonest means. It is not and cannot be said that by preventing a claim to be staked the Governor does not act irrationally or on extraneous premises. Had the Governor acted with the object of preventing any one from staking a claim his action would have been vulnerable. The conduct of the Governor may be suspicious and may be to in the present case, but if his opinion about the adoption of tainted means is supportable by tested materials, certainly it cannot be extraneous or irrational. It would all depend upon the facts of each case. If the Governor in a particular case without tested or unimpeachable materials merely makes an observation that tainted means are being adopted, the same would attract review. But in the instant case there is some materials on which the Governor has acted. This ultimately is a case of subjective satisfaction based on objective materials. On the factual background one thing is very clear, i.e. no claim was staked and on the contrary the materials on record show what was being projected. It is also clear from the bare perusal of the documents which the petitioners have themselves enclosed to the writ petitions that authenticity of the documents is suspect.

If may be difficult to leave aspects of morality to be determined by high constitutional functionaries, on case to case basis, depending on the facts of the case and the personal mould of the constitutional functionaries with all these imponderables the constitution does not contemplate the dissolution of assembly based on the assumption of such immoralities for formation of the satisfaction that situation has arisen which the Govt. cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution. What is normally wrong cannot be politically right.

नोट : प्रत्याशियों को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ें और उस पर आधारित पाँच (5) प्रश्नों के उत्तर तीस (30) शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न पाँच (5) अंक का है।

प्रजातंत्र में धूर्तता के लिए कोई स्थान नहीं है। राज्यपाल का अपनी शक्ति के बारे में प्रत्यक्षण त्रुटिपूर्ण हो सकता है लेकिन वह निश्चित रूप से असंबद्ध या अतार्किक नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि दसवीं सूची से

बचकर अवैध और कलंकित साधनों से बहुमत प्राप्त करने से राज्यपाल असहाय हो जाता है और वह जनमत के साथ बेईमान तरीकों से छेड़ छाड़ करनेवालों का मात्र मूक दर्शक बनकर रह जाता है। ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि राज्यपाल असंबद्ध एवं असंगत तरीके से सरकार बनाने के दावों को नहीं रोकते। अगर राज्यपाल ने (किसी को) सरकार बनाने का दावा पेश करने को रोकने के उद्देश्य से कार्य किया होता तो उनकी यह कार्रवाई नाजुक होती। राज्यपाल का आचरण संदेहास्पद हो सकता है और मौजूदा मामले में ऐसा हो सकता है। उनकी राय के अनुसार यदि भ्रष्ट साधनों का इस्तेमाल अगर परीक्षण के आधार पर सिद्ध होता है तो निश्चित रूप से उसे असंबद्ध या असंगत नहीं कहा जा सकता। वह मामले के समस्त तथ्यों पर निर्भर करेगा। अगर किसी विशेष मामले में राज्यपाल बिना किसी परीक्षण या बिना अभियोग युक्त सामग्री के यह टिप्पणी करता है कि भ्रष्ट साधन अपनाये जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में पुनरावलोकन अपेक्षित होगा। लेकिन मौजूदा मामले में कुछ सामग्री मौजूद है जिस के आधार पर राज्यपाल ने कार्रवाई की है। अंततः यह वस्तुनिष्ठ सामग्री पर आधारित व्यक्तिनिष्ठ संतुष्टि का मामला है। तथ्यात्मक पृष्ठ भूमि में एक बात एकदम स्पष्ट है अर्थात् कोई दावा पेश नहीं किया गया इसके विपरीत अभिलेख में जो सामग्री उपलब्ध है वह वही बता रही है जिसे प्रक्षेपित किया जा रहा था। दस्तावेजों के अवलोकन से एक बात साफ है जिसे याचिका कर्ताओं ने स्वयं याचिका के साथ संलग्न किया है कि इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता संदिग्ध है।

प्रत्येक अलग-अलग मामले में तथा संविधान के अधिकारियों की मानसिक संरचना के अनुसार उच्च संविधान अधिकारियों द्वारा नैतिकता के पहलुओं को छोड़ देना कठिन हो सकता है। इन तमाम असंभाव्य स्थितियों में संविधान में विधान सभा भंग कर देने की व्यवस्था नहीं है। इन पूर्वधारणाओं पर अनैतिकता की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें यह तसल्ली हो गई है कि संविधान के अनुसार सरकार नहीं चलाई जा सकती। जो नैतिक रूप से गलत है वह राजनैतिक रूप से सही नहीं हो सकता।

1. In which case the authenticity of the Governor's action was challenged before the Supreme Court of India and on what basis?

किस मामले में राज्यपाल को कार्रवाई की प्रामाणिकता को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और किस आधार पर?

2. Differentiate between morality and immorality in brief.

संक्षेप में नैतिकता और अनैतिकता में विभेद कीजिए।

3. What does the constitution of India contemplate for the dissolution of Assembly ?

विधान सभा भंग करने के लिए भारत का संविधान क्या स्थिति बताता है ?

4. On what grounds the action of the Governor is reviewable by the Supreme Court of India?

राज्यपाल की कार्रवाई भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किन आधारों पर पुनर्विलोकनीय है?

5. Give a suitable and attractive title for the paragraph.

उपरोक्त अनुच्छेद का उपयुक्त एवं आकर्षक शीर्षक दीजिए।

9. Explain audi alteram partem.

‘ऑडी अल्टेरम पारटेम की व्याख्या कीजिए।

10. What is the difference between ratio decidendi and obiter Dicta ?

‘रेशियो डेसिडेन्डी’ (अवरोह अनुपात) और ‘ओबिटर डिक्टा’ (इतरोक्ति) के बीच क्या अंतर है?

13. Distinguish between 'Accident' and 'Causing Death' by Negligent and Rash Act.

'दुर्घटना' एवं 'उपेक्षा तथा उतावले के कारण मृत्यु कारित करना' - दोनों के बीच अन्तर स्पष्ट कीजिये।

14. Explain the role of 'Environmental Impact Assessment'.

पर्यावरण प्रभाव के निर्धारण की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

17. When individual petitions are held inadmissible by the Human Rights Committee?

कब मानवाधिकार समिति व्यक्तिगत याचिकाओं को अग्रहय घोषित करती है।

18. What is the underlying philosophy of the convention on the Rights of the Child, 1989?

शिशु अधिकारों के अभिसमय, 1989 का अन्तर्निहित दर्शन क्या है?

SECTION - III

खण्ड – III

Note : This section contains five (5) questions from each of the electives / specialisations. The candidate has to choose only one elective / specialisation unit and answer all the five questions from it. Each question carries twelve (12) marks and is to be answered in about two hundred (200) words.
(12x5=60 marks)

नोट : इस खंड में प्रत्येक ऐच्छिक इकाई/विशेषज्ञता से पाँच (5) प्रश्न हैं। अभ्यर्थी को केवल एक ऐच्छिक इकाई/विशेषज्ञता को चुनकर उसी में से पाँचों प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न बारह (12) अंकों का है व उसका उत्तर लगभग दो सौ (200) शब्दों में अपेक्षित है।
(12x5=60 अंक)

Elective - I

विकल्प – I

21. "Right to information is the sole soul of freedom of speech and expression". Explain सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एकमात्र आत्मा है। व्याख्या करें।
22. There are many provisions in the constitution of India which secure the independence and impartiality of the judiciary. Discuss the provisions. Is really the judiciary independent in India?
संविधान में कई प्रावधान हैं जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता को सुनिश्चित करते हैं। इन प्रावधानों की चर्चा करें। क्या सचमुच भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है?
23. The constitution of India has been experiencing a battle between the limited and unlimited constituent power. Explain with reference to cases. What reforms would you suggest to lessen the tension?
भारत का संविधान सीमित और असीमित घटक शक्ति के बीच द्वन्द्व अनुभव करता रहा है। इस द्वन्द्व को कम करने के लिये आप क्या सुधार का सुझाव देंगे।
24. Explain the correlations between Articles 21-A and 51-A (K).
अनुच्छेद 21-ए एवं 51-ए (क) के परस्पर संबंधों की व्याख्या करें।
25. Critically evaluate the role of the election commission of India in the development of democratic process.
लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विकास में भारत के चुनाव आयोग की भूमिका का अलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

OR / अथवा

Elective - II
विकल्प – II

21. "Administrative Law is a law that regulates administrative deviance". Critically explain the nature and scope of Administrative Law.
'प्रशासनिक विधि प्रशासनिक विचलन को नियंत्रित करने वाली विधि है। प्रशासनिक विधि के प्रकृति एवं विस्तार-क्षेत्र की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
22. "Legal representation, cross examination and reasoned decisions must be made a mandatory procedural requirement for administrative bodies exercising adjudicatory powers". Elucidate.
'न्याय-निर्णयन की शक्ति का प्रयोग करने वाले प्रशासकीय निकायों के लिए विधिक प्रतिनिधित्व, प्रति-परीक्षा एवं तर्कसंगत निर्णय को समावेशात्मक, प्रक्रियात्मक आवश्यकता बना दिया जाना चाहिए। विशदीकरण कीजिए।
23. Critically discuss the desirability and efficiency of the strategy of administrative instructions to bring uniformity in the area of administrative discretion.
प्रशासनिक विवेक के क्षेत्र में एकरूपता लाने हेतु प्रशासनिक निर्देशों की रणनीति की वांछनीयता एवं प्रभावकारिता की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।
24. "Writ of certiorari is the most efficacious remedy against administrative actions". Amplify this statement.
'प्रशासनीय कृत्यों के विरुद्ध उत्प्रेषण की आदेशिका (रिट) सबसे अधिक प्रभावी उपचार है। उस कथन का विशदीकरण कीजिए।
25. Explain the reasons for the non-establishment of the institution of Lokpal in India irrespective of the efforts of the Parliament to establish it.
भारत में लोकपाल की संस्था की संसद के प्रयासों के बावजूद, स्थापना न होने के कारणों की व्याख्या कीजिए।

OR / अथवा

Elective - III
विकल्प – III

21. Discuss H.L.A. Hart's analysis of law as a system of rules and explain his concept of legal system.
एच.एल.ए. हार्ट के नियमों की व्यवस्था के रूप में विधि के विश्लेषण की विवेचना कीजिए तथा उसके विधिक व्यवस्था की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।
22. Analyse the concept of a legal person. Explain various theories of corporate personality.
विधिक व्यक्ति के सम्प्रत्यय का विश्लेषण कीजिए। नैगमिक व्यक्तित्व सम्बन्धी विभिन्न सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए।

23. Examine the relationship of justice with law, ethics and social morality.
न्याय के विधि, नीति शास्त्र एवं सामाजिक नैतिकता के साथ अन्तर्संबन्ध का परीक्षण कीजिए।
24. Critically evaluate the theory of social engineering.
सामाजिक अभियांत्रिकी के सिद्धान्त का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
25. Critically assess the role of Supreme Court in protecting right to development such as right to shelter, access to road etc.
विकास के अधिकार यथा आश्रय का अधिकार, सड़क तक पहुंच इत्यादि के संरक्षण में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

OR / अथवा

Elective - IV

विकल्प – IV

21. "In the offences against women, her reaction is relevant but not always conclusive"
Discuss this statement.
"स्त्रियों के विरुद्ध अपराधों में, उसकी प्रतिक्रिया सुसंगत होती है, निर्णायक नहीं होती"। इस कथन की विवेचना कीजिये।
22. "When 'hurt' may convert into culpable homicide and murder"? Explain those situations.
"कब 'चोट' आपराधिक मानववध व हत्या में, परिवर्तित हो सकती है"? उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए।
23. "Every breach of trust is misappropriation but every misappropriation is not necessarily a breach of trust". Explain.
"प्रत्येक आपराधिक न्यास भंग, आपराधिक दुर्विनियोग होता है, किन्तु हर आपराधिक दुर्विनियोग, न्यास भंग नहीं होता"। व्याख्या कीजिये।
24. The fundamental principle of penal liability is that "An act alone does not amount to crime it must be accompanied by a guilty mind". Discuss.
दण्ड दायित्व का मूलभूत सिद्धान्त यह है कि "कार्य भी कृत्य अपने आप में अपराध नहीं होता है, उसके साथ दोषपूर्ण आशय का होना आवश्यक है"। विवेचना कीजिये।

25. "No one can dispute the fact that the code (Indian Penal Code) is well drafted, so nicely knitted that slightest amendment in it ever after due care may disturb the entire scheme of the Indian Penal Code yet the one and half century old code does not have avenues to detect crimes emerging from modern techniques of crime i.e. Computer, Cell Phone, Internet etc".

Elucidate the above statement and give your opinion as to what type of amendments are required in Indian Penal Code to detect above type of crimes.

“यह निर्विवादित है कि यह संहिता (भारतीय दण्ड संहिता) सुख्यवास्थित एवं सुगठित रूप से निर्मित की गये संहिता है और इसमें उचित सर्तकता से भी किया गया कार्य छोट सा भी संशोधन भारतीय दण्ड संहिता की सम्पूर्ण योजना को विचलित कर सकता है। तथापि डेढ़ शताब्दी पुरानी संहिता आधुनिक तकनीक जनित अपराध जैसे कम्प्यूटर, सेल फोन, इन्टरनेट इत्यादि अपराधों को पकड़ने में यह संहिता समर्थ प्रतीत नहीं होती है”।

उपरोक्त कथन की समालोचनात्मक व्याख्या कीजिये और अपनी राय दीजिये कि भारतीय दण्ड संहिता में किस प्रकार के संशोधन उपरोक्त प्रकार के अपराधों को पकड़ने के लिये अपेक्षित हैं?

OR / अथवा

Elective - V

विकल्प – V

21. Briefly discuss the various types of pollution with the help of decided cases.
निर्णीत वादों की सहायता से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों की संक्षेप में व्याख्या कीजिये।
22. Examine the objects of Stockholm Declaration 1972 in the Protection of Human Environment.
मानव पर्यावरण के संरक्षण के लिये स्टोकहोम घोषणा, 1972 के उद्देश्यों का परीक्षण कीजिये।
23. Discuss the procedure relating to 'Sample Survey Analysis to be carried out by the Pollution Control Boards under the water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974.
जल (प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के तहत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नमूना सर्वेक्षण परीक्षण के लिये अपनायी जाने वाली प्रक्रिया को समझाईये।
24. Briefly discuss the powers of the Central Pollution Control Board in regulating & Controlling Environmental Pollution.
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पर्यावरण प्रदूषण को नियमित एवं नियंत्रित करने सम्बन्धी शक्तियों का संक्षेप में वर्णन कीजिये।
25. Briefly examine the objects of Hazardous Wastes (Management & Handling) Rules, 1989.
खतरनाक अवशिष्ट (प्रबन्ध एवं निर्वाह) नियम 1989 के उद्देश्यों का संक्षेप में विश्लेषण कीजिये।

OR / अथवा

Elective - VI

विकल्प – VI

21. 'The concept of sovereignty has lost much of its relevance in the era of globalization and communication technologies', comment.
'वैश्वीकरण एवं संसूचना प्रौद्योगिकी के युग में संप्रभुता की अवधारणा की प्रासंगिकता काफी कम हो गई है'। टीका कीजिए।
22. 'Ubi Societate lex' is the appropriate basis of international law in the era of increasing interdependence of nation state. In this backdrop discuss the theories relating to the basis of international law.
'जहाँ समाज है वहाँ कानून है' राज्यों-राष्ट्रों के मध्य बढ़ती अन्तर्निर्भरता के युग में अन्तर्राष्ट्रीय विधि का समुचित आधार है'। इस पृष्ठभूमि में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के आधार से सम्बन्धित सिद्धांतों की विवेचना कीजिए।
23. 'Recognition is not a constitutive but a declaration act'. Elucidate this statement and enumerate the consequences of recognition.
'मान्यता संगठनात्मक नहीं अपितु एक उद्घोषणात्मक कृत्य है'। इस कथन को स्पष्ट कीजिए तथा मान्यता के परिणामों का प्रगणन कीजिए।
24. Distinguish between collective security and collective self defence and discuss the reasons for the failures of the U.N. Collective security system in the recent crises.
सामूहिक सुरक्षा तथा सामूहिक प्रतिरक्षा में अंतर कीजिए तथा हाल के सत्रों में संयुक्तराष्ट्र के सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की असफलताओं के कारणों की विवेचना कीजिए।
25. Although the role of the International Court of Justice in the settlement of disputes has been marginal, it has undoubtedly played significant role in the progressive development of international law. Elucidate this statement with the help of the judgments and advisory opinions of the International Court of Justice.
'यद्यपि विवादों के समाधान में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की भूमिका हाशियायी रही है, इसने अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रगतिशील विकास में निस्संदेह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों एवं परामर्शात्मक मतों की सहायता से इस कथन का विशदीकरण कीजिए।

OR / अथवा

Elective - VII

विकल्प – VII

21. What are Sahih, Fasid and Batil marriages according to Muslim law? Discuss their legal incidents.
मुस्लिम विधि के अनुसार सही, फासिद और बातिल विवाह से आप क्या समझते हैं? इनके विधिक प्रभावों को समझाईये।

22. "Though matrimonial remedies are available under the Hindu Marriage Act, 1955, the court has to be vigilant that these are not abused". Discuss
 "हालांकि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 वैवाहिक उपचार उपलब्ध कराता है लेकिन न्यायालयों को इस बात के लिये सजग रहना पड़ेगा कि इनका दुरुपयोग न हो"। समझाईये।
23. Explain the grounds on which a Muslim wife can get divorce under the Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939.
 उन आधारों को स्पष्ट कीजिये जिनके आधार पर एक मुस्लिम महिला मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 के तहत तलाक प्राप्त कर सकती है।
24. Under what circumstances a Hindu spouse is entitled to get maintenance from his/her spouse?
 उन परिस्थितियों को स्पष्ट कीजिये जिनमें हिन्दू दाम्पत्त अपने दाम्पत्त से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी होगा?
25. "It is not necessary that a Hindu father shall always be the natural guardian of his minor legitimate child". Discuss.
 "यह आवश्यक नहीं है कि हिन्दू पिता अपने अवयस्क धर्मज पुत्र का हमेशा ही नैसर्गिक संरक्षक होगा। समझाईये।

OR / अथवा
Elective - VIII
विकल्प – VIII

21. "The cornerstone of U.N. activity in the field of human rights has been without doubt the Universal Declaration of Human Rights'. Comment
 मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की गतिविधि की आधारशिला निस्संदेह मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणापत्र है। टीका कीजिए।
22. Discuss the organization and functions of the Human Rights committee. Is it correct to say that Human Rights Committee is not court with binding decisions?
 मानवाधिकार समिति के संगठन एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। क्या यह कहना उचित है कि मानवाधिकार समिती बाधाकारी विनिश्चय देन वाला न्यायालय नहीं है?
23. Discuss the organization and functions of the National Human Rights Commission. Is the appointment of a former CBI officer as a member of the National Human Rights Commission legal on and justified ?
 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संगठन एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सी बी आई के पूर्व अधिकारी की नियुक्ति विधि पूर्ण एवम् न्यायानुमत है?
24. "The global recognition of women rights as human rights marks a radical departure from the traditional thinking on human rights", comment.
 'स्त्री अधिकारों की मनवाधिकारों के रूप में वैश्विक मान्यता मानवाधिकार पर परम्परागत सोच से क्रान्तिकारी प्रस्थान है'। टीका कीजिए।

25. Discuss the attempts made at the international level for the protection of the rights of the child.

शिशु के अधिकारों के संरक्षता हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किये गये प्रयासों की विवेचना कीजिए।

OR / अथवा

Elective - IX

विकल्प – IX

21. Discuss the various ingredients of a 'Tort' with decided cases.
निर्णित वादों की सहायता से अपकृत के विभिन्न आवश्यक तत्वों का विवेचन कीजिए।
22. Distinguish between 'Libel' and 'Slander' with the help of illustrations.
अपमान लेख एवं मिथ्यापवाद कथन में उदाहरणों सहित विभेद कीजिये।
23. 'Any nuisance whereby sensible injury is caused to the property of another is actionable' - Discuss.
"कोई उतपात जिससे किसी अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति को प्रभावी हानि होती हो वह अनुयोज्य है" स्पष्ट कीजिये।
24. What is 'Negligence'? Examine the different factors responsible for making a person liable for Negligence.
उपेक्षा से आप क्या समझते हैं? उन विभिन्न कारकों का परीक्षण कीजिये जिनके कारण किसी व्यक्ति को उपेक्षा के लिये दायित्वाधीन बनाया जा सके।
25. Briefly discuss the role of Consumer Protection Act, 1986 in Medico - Legal cases.
चिकित्सा-विधिक मामलों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की भूमिका का संक्षेप में वर्णन कीजिये।

OR / अथवा

Elective - X

विकल्प – X

21. "A contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price". Amplify this statement and distinguish between 'sale' and 'agreement to sell'.
"माल की विक्रय' की संविदा एक संविदा है जिसके द्वारा विक्रेता माल में स्वत्व को विक्रेता से अन्तरित करता है अथवा करने का करार करता है। इस वक्तव्य को विकसित करें एवं विक्रय और विक्रय का करार में भेद बतायें।
22. Critically evaluate principles of legal liability of partners interse and partners dealing with third parties, discussing principles of agency applied to partnership.
भागीदारों के परस्पर एवं तीसरे पक्षकार के साथ संव्यवहार में विधिक दायित्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन अभिकर्ता के सिद्धान्त के संदर्भ में करें।

23. Evaluate the doctrine of ultra vires under the Indian Companies Act. Analyse also its utility and otherwise, in face of its near extinction.
भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत 'अधिकारातीत के सिद्धान्त' का मूल्यांकन करें। इसके समापन की उत्पन्न स्थिति में इसकी उपयोगिता की व्याख्या करें।
24. Write a critique on topical legal problems coming before the court under the Negotiable Instruments Act and adequacy of judicial response to such problems
परक्राम्य अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय के समक्ष उत्पन्न हो रही विधिक समस्याओं एवं उनके न्यायिक समाधान पर एक आलोचना लिखें।
25. 'Doctrine of indoor management is not only convenient but also just'. Explain and elaborate.
'आन्तरिक प्रबंधन' का सिद्धान्त न केवल सुविधा जनक बल्कि न्यायोचित भी है। व्याख्या एवं विस्तार करें।

SECTION - IV

खण्ड – IV

Note : This section consists of one essay type question of forty (40) marks to be answered in about one thousand (1000) words on any of the following topics. This question carries 40 marks.

(40x1=40 marks)

नोट : इस खंड में एक चालीस (40) अंकों का निबन्धात्मक प्रश्न है जिसका उत्तर निम्नलिखित विषयों में से केवल एक पर, लगभग एक हजार (1000) शब्दों में अपेक्षित है।

(40x1=40 अंक)

26. There has hitherto been a progressive movement from caveat emptor to caveat venditor in the consumer laws.

उपभोक्ता विधियों में क्रेता सावधान से विक्रेता सावधान की दिशा में क्रमशः संचलन हुआ है।

OR / अथवा

Desirability or non-desirability of uniform civil code.

समान नागरिक संहिता की वांछनीय या अवांछनीयता।

OR / अथवा

Doctrine of legitimate separation has opened new vistas in the field of administrative law.

वैध प्रत्याशा के सिद्धान्त ने प्रशासनिक विधि के क्षेत्र में नये परिदृश्य खोल दिये हैं।

OR / अथवा

The Supreme Court of India has developed a rich corpus of sustainable developments jurisprudence and there is desirability of incorporating the concept of sustainable development in the existing environmental laws.

सर्वोच्च न्यायालय ने निरंतर विकास पर विधिशास्त्र का समृद्ध निकाय विकसित किया है और वर्तमान पर्यावरण विधियों में निरंतर विकास की अवधारणा का समाविष्ट करने की आवश्यकता है।

OR / अथवा

Amendment in the protection of Human Rights Act, 1993 is over due.

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में संशोधन करना काफी दिनों से अपेक्षित है।

FOR OFFICE USE ONLY							
Marks Obtained							
Question Number	Marks Obtained	Question Number	Marks Obtained	Question Number	Marks Obtained	Question Number	Marks Obtained
1		26		51		76	
2		27		52		77	
3		28		53		78	
4		29		54		79	
5		30		55		80	
6		31		56		81	
7		32		57		82	
8		33		58		83	
9		34		59		84	
10		35		60		85	
11		36		61		86	
12		37		62		87	
13		38		63		88	
14		39		64		89	
15		40		65		90	
16		41		66		91	
17		42		67		92	
18		43		68		93	
19		44		69		94	
20		45		70		95	
21		46		71		96	
22		47		72		97	
23		48		73		98	
24		49		74		99	
25		50		75		100	

Total Marks Obtained (in words)

(in figures)

Signature & Name of the Coordinator

(Evaluation) Date